न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 179/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/217

निर्णय दिनांक:15.01.2026

1.हंसराज 2.दोलतराम पुत्रगण पन्नाराम जाति मेघवाल निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1.बीरबलराम पुत्र पन्नाराम 2.कमला पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 3.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 805 तादादी 3.0400 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 805 तादादी 3.0400 हैक्टेयर रोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त व उपयोग—उपभोग लगातार रूप से चला आ रहा है। वादगत खेत में प्रार्थीगण का 1/4 — 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बराबर—बराबर संयुक्त रूप से खातेदारी में चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अदल—बदल कर खेत को लगातार रूप से काश्त करते चले आ रहे है । वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आने से प्रार्थीगण को अपने खेत में सुधार करने, ट्यूबवैल बनाने सहित, बैंक ऋण लेने सहित काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण अपने — अपने 1/4 हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज करवाना चाहता है । वादगत खेत की 1/4—1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग से दर्ज करवाकर अलग लगान कायम करवाने के अधिकारी है। वादगत खेत व अन्य खेतो के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ने एक दावा बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर खेत खसरा नम्बर 805 तादादी 3. 10400 हैक्टेयर के पूरे रकबे को हड़प करने की बदनियति से श्रीमान्जी के समक्ष पेश कर रखा है। जिसमें न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष वादगत कीमती खेत को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना व अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 2 का बताया है, जबकि वादगत खेत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत है, जो किसी भी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पूरा खेत नहीं हो सकता। दावा बीरबलराम बनाम दौलाराम [illegible] है। उस दावे के साथ अप्रार्थी संख्या 1 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और अब बड़ी चालाकी से वादगत खेत कें पूरे रकबे को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रय करने की फिराक में है, इसलिये प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र मजबूरीवंश श्रीमान्जी के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रस्तुत करना पड़ रहा है । वादगत खेत के चारो तरफ सीमा कायम की हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उपरोक्त खेत में संयुक्त खातेदारी होने के कारण विकास कार्य करवाने से प्रार्थीगण वंचित हो रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 से तहसील कार्यालय में चलकर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस खाता विभाजन करवाने का दिनांक 29.07.2022 को निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खाता का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया व प्रार्थीगण की सहमति के बिना वादगत खेत को रहन रखकर खाता विभाजन करवाने में बाधा पहुंचाने की चेष्टा में लगे हुये है । अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के जायज हिस्से से प्रार्थीगण को बेदखल करने, फसल को खुर्द–बुर्द करने व खेत का बिना विभाजन करवाये ही किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की ऐलानियां धमकियां दे रहे है, वादगत खेत ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की आबादी के चिपते ही स्थित है । वादगत खेत के पश्चिमी तरफ सड़क निकलती है। वादगत खेत काफी किमती है, इस वजह से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में लालच आया हुआ है तथा अजनबी लोगो को वादगत खेत पूरा अपना गलत रूप से बताते हुये पूरे ही खेत को विक्रय करने की फिराक में है, जबकि वादगत खेत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी का, कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग का है। जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छे से अच्छा व बूरे से बूरा के प्रकार से विभाजन हो जाये तब तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादगत खेत का कोई भी हिस्सा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही चतुर व चालाक किश्म के व्यक्ति है, जबकि प्रार्थीगण शांतिप्रिय व कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है, इसलिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण वादगत खसरा भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार काबिज काश्त है, जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादगत खसरा भूमि आबादी के नजदीक होने की वजह से कीमती होने के कारण सम्पूर्ण खसरे को अपना बताकर विक्रय, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण को वादगत खसरा भूमि से बेदखल व काश्त नहीं करने की धमकी दी है, अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण अपूर्णनीय क्षति होगी, इसलिये अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो खेत 805 तादादी 3.0400 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, फसल को खुर्द–बुर्द नहीं करे, वादगत खेत को किसी भी प्रकार से रहन या बैय, हस्तान्त[illegible]तकिल नहीं करे, ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करे, जिससे प्रार्थी[illegible] क[illegible]तो पर विपरित असर पड़ता हो व ताफैसला दावा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी[illegible]रिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण का दावा गलत आधारो पर पेश किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। वादगत खेत पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का चला आ रहा है प्रार्थीगण को आपसी विभाजन में खसरा नम्बर 1954/290 व 661 709 मे से दिया गया है खसरा नम्बर 805 में से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है। वादगत खेत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के सयुक्त खातेदारी के खेतो का मौके पर विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 661 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1954/ 290 तादादी 2.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709 से 6.8950 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 805 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709 में से 2.0400 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है प्रार्थीगण ने विभाजन को रोकने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है । अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 805, 709, 661, 1954/ 290 जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी के खेत है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है अप्रार्थीगण द्वारा सभी खेतो के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के आपसी मौखिक विभाजन के अनुसार कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन चाहा गया है प्रार्थीगण द्वारा सिर्फ खसरा नम्बर 805 के सम्बन्ध में पेश किया है जो खारिज योग्य है । वादगत खेत पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सभी खेतो का विभाजन का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिल खारिज योग्य है । प्रार्थीगण का कब्जा काश्त वादगत खेतो में नही होने एवं वादगत खेतो के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण द्वारा सभी खसरानो के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण खारिज योग्य है । वादगत खेतो के अलावा अप्रार्थीगण के नाम से खसरा नम्बर 1954/ 290 तादादी 2.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 661 तादादी 3.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709 तादादी 8.9400 हैक्टेयर है जिनके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा पेश कर रखा है जिसमें कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 805 पर कब्जा काश्त नही रहा है। खसरा नम्बर 805 पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का है वादगत खेत पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित हो रही है इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2015(2) रेवन्यू अवतार खान बनाम महरू बानो वगै. पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नंबर 805 तादादी 3.10400 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 वादगत खेतों के रिकार्डेड काबिज खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.01.2026 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.02.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested